उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग
सं0: XI 2261/12/56(21)/2011
देहरादून दिनांक 23 नवम्बर 2012

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 1834/XI/12/56/(21)/2011 दिनांक 10.09.2012 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित परियोजना स्टेयरिंग कमेटी की दिनांक 03.10.2012 को सम्पन्न बैठक में दी गई संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त **समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी (State Level Project Management Committee)** का निम्नवत गठन किया जाता है:–

1	सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2	सचिव, जलागम	सह–अध्यक्ष
3	परियोजना समन्वयक (Project Coordinator) – केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई, समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)	सदस्य सचिव
4	परियोजना निदेशक – समेकित आजीविका सहयोग परियोजना एवं प्रबन्ध निदेशक उपासक	सदस्य
5	अपर सचिव, वित्त	सदस्य
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी – उपासक	सदस्य
7	परियोजना निदेशक – उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई	सदस्य
8	अपर सचिव/पंचायतीराज उत्तराखण्ड	सदस्य
9	अपर सचिव, उद्यान	सदस्य
10	अपर सचिव, कृषि	सदस्य
11	अपर सचिव, पशुपालन	सदस्य
12	अपर सचिव, पर्यटन	विशेष आमंत्रित सदस्य
13	परियोजना के सहभागी गैर सरकारी संगठन (NGO) तथा परियोजना के Innovation linkages सहभागी संगठन	विशेष आमंत्रित सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना व बजट के अनुमोदन, भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा, परियोजना परिणाम सूचकों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा, कियान्वयन संबंधी मुद्दो

का समाधान व सरकार की विभिन्न योजनाओ के साथ परियोजना गतिविधियो के अभिसरण का कार्य किया जायेगा। कमेटी की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी। कमेटी के कोरम के लिये बैठक मे कम से कम एक तिहाई सदस्यो का प्रतिभाग मान्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा

(विनोद फोनिया)
सचिव

2261
संo: XI /12/56(21)/2011/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/समिति के सभी सदस्य उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बॉस एवं रेशा विकास परिषद।
8. मुख्य कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
10. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति, देहरादून।
11. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन निदेशालय।
12. प्रबन्ध निदेशक, उपासक।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।
14. सहायक प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य स्तरीय, बैंकर्स कमेटी, देहरादून।
15. निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड।
16. अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (Northern Region), देहरादून।
17. गॉर्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एम0 शर्मा)
अनु सचिव।

संख्या /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 8 ~~जनवरी~~ फरवरी 2013

विषयः- समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (Central Project Coordination Unit-CPCU) के औपचारिक गठन की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1774/02-1.1.5/2012-13 दिनांक 30.1.2013 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के कम में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई गठित किये जाने की औचारिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान किये जाने का मुझे निदेश हुआ है कि केन्द्रीय परियोजना समन्वय इकाई के अन्तर्गत प्रस्तावित कूल 05 पदों (परियोजना समन्वयक, वित्त नियन्त्रक, सहायक प्रबन्धक-वित्त, स्टैनोग्राफर एवं परियोजना सहायक) एवं उनके वेतनमान आदि के बारे में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 391 /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासनं
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
7. परियोजना निदेशक आजीविका परियोजना एवं प्रबन्ध निदेशक, उपासक 272 सी, फेज-2 बसन्त विहार देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोंषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।

(11)

संख्या /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

आजीविका
पंजीकरण संख्या:...1750.........
दिनांक:......11/2/13.........
पत्रावली................
शाखा:......N-Finance/CEO

सेवा में,

परियोजना निदेशक
हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना
उत्तराखण्ड देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 8 फरवरी ~~जनवरी~~ 2013

विषयः– समेकित आजीविका सहयोग परियोजना हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (**Central Project Coordination Unit-CPCU**) का बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1774/02-1.1.5/2012-13 दिनांक 30.1.2013 का संन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के संचालन व वित्तीय प्रवाह हेतु परियोजना का देहरादून के किसी राष्ट्रीयकृत में नियमानुसार खाता खोलने की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 497/XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासनं
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
7. परियोजना निदेशक आजीविका परियोजना एवं प्रबन्ध निदेशक, उपासक 272 सी, फेज-2 बसन्त विहार देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
10. समस्त वरिष्ठ कोंषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।

(8)

आजीविका
पंजीकरण संख्या: 1749
दिनांक: 11/2/13
पत्रावली
शाखा: M-Finance/CPO

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग

संख्या : 498 /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1
दिनांक : देहरादून 8 फरवरी 2013

कार्यालय-आदेश

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) द्वारा वित्त पोषित Integrated Livelihood Support Project (ILSP) के द्वितीय चरण के कियान्वयन एवं समेकित आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (central Project Coordination Unit- CPCU) का बैक खाता संचालित किये जाने हेतु नितांत अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थायी रूप से शासन के अग्रिम आदेशों/परियोजना समन्वयक की नियुक्ति होने तक, वर्तमान में कार्यरत परियोजना निदेशक, हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना, देहरादून को अधिकृत किया जाता है।

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या : 498 /XI/13/56(21)/2011 टी0सी0-1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासनं
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
5. परियोजना निदेशक आजीविका परियोजना एवं प्रबन्ध निदेशक, उपासक 272 सी, फेज-2 बसन्त विहार देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव।